न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 41/2017 दायरा दिनांक : 07.03.2017

उनवान

अरविन्द कुमार आत्मज दयाराम वर्मा, जाति मीणा, निवायी चौमहला, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– अशोक कुमार आत्मज दयाराम वर्मा, जाति मीणा, निवायी चौमहला, जिला झालावाड़

2– श्रीमती आशा पत्नी एस पी मीणा, अन्नपूर्णा टावर, कोशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश

3– श्रीमती शीला पुत्री दयाराम वर्मा पत्नी जी डी मीणा, निवासी विद्याघर नगर, जयपुर

4– श्रीमती कुसुम पुत्री दयाराम वर्मा पत्नी एम एल मीणा निवासी टावर 5 फ्लेट नम्बर बी 9 न्यू मोती बांग नई दिल्ली

5– श्रीमती चित्रा पुत्री दयाराम वर्मा पत्नी राजू गुसिया, जाति मीणा निवासी राजपुर रोड़ दिल्ली

6– श्रीमती कमलपति पत्नी स्वर्गीय दयाराम वर्मा, जाति मीणा, निवायी चौमहला, जिला झालावाड़

7– स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ग्र तहसीलदार तहसील गंगधार

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री मोहम्मद मंसूर आलम अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री श्री औकारेश्वर शर्मा एवं श्री विजय कुमार जैन

अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 20.02.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 127/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 2 लगायत 7 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में धारा 53 टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 02.07.2014 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई थी इसकी अपील होने पर अपील कोर्ट ने अपने निर्णय दिनांक 03.11.2015 से प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि विवादित आराजी के अतिरिक्त ग्राम बिलावली की आराजी भी सम्मिलित कर पुनः तनकीवाईज पक्षकारों को सबूत व सुनवाई का अवसर देकर निर्णय किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपील कोर्ट के निर्देश को नजर अन्दाज कर राजस्व अभियान में दिनांक 02.06.2016 को दावा निर्णित कर प्रारम्भिक डिक्री प्रदान कर दी, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय न्याय, विधान व तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपील कोर्ट के निर्देशों को नजर अन्दाज कर त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने न तो बियलावली ग्राम की आराजी को सम्मिलित किया न अपीलांट को सबूत का अवसर दिया और जल्दबाजी में निर्णय पारित कर त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय, निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है । अपीलांट का काउंअर क्लेम जिसमेंमहत्वपूर्ण काननूनी बिन्दु उठााये गये थे उसके सम्बन्ध में कोई कानूनी विवेचना नहीं की है । हिन्दू उत्तराधिकार कानून मीणा जाति पर लागू नहीं होता है फिर भी मृतक खातेदार की पुत्रियों को भी हिस्सा देकर त्रुटि की हे । अतः

अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2016 अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 06.08.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आर आर टी 2014 (2) पेज 901, आर एल डब्ल्यू 2007(1) आर जे पेज 234 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई एवं विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने झारखण्ड हाई कोर्ट की नजीर पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । अपील के तथ्य विधि मान्य है तथा हिन्दू उत्तराधिकार की उपधारा 2 में अनुसूचित जनजाति के प्रावधान के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित नहीं है, साथ ही सभी भूमियों को सम्मिलित कर आदेश पारित किया जावे ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.06.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर प्रकरण में 3 माह में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.04.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा